समाहरणालय, सिवान

(जिला सामान्य शाखा)

—: आदेश :—

उप सचिव–सह–उप निदेशक (प्र0) प्रभारी स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा कल्याण 60 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200–अन्य कार्यक्रम 0003–स्वतंत्रता सेनानी एवं आश्रित पेंशन धारियों का विशेष भत्ता के अन्तर्गत आवंटन पत्र सं0–एन/गृ0वि0आ0–02–01/2020 89/पटना, दिनांक 24.04.2020 के द्वारा मो0–420000/– (चार लाख बीस हजार) रुपये कुल का आवंटन प्राप्त है। प्राप्त आवंटन के आलोक में 10 (दस) स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रितो का माह मार्च एवं अप्रैल, 2020 तक प्रति माह पाँच हजार रुपये की दर से कुल मो0–100000/– एक लाख रुपया मात्र भुगतान हेतु स्वीकृति आदेश दिया जाता है। जिसे नजारत उप समाहर्त्ता, सिवान को उनके नाम के समक्ष कॉलम 4 में अंकित राशि निम्नवत उपावंटित की जाती है।

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पूर्व में उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
1	नजारत उप समाहर्त्ता, सिवान	—	420000/–	420000/–
कुल योग :–		—	420000/–	420000/–

2. उपर्युक्त राशि का व्यय मांग सं0–22 के मुख्य शीर्ष–2235–समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष–0003–स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता, के विषय शीर्ष–0003.04.01–पेंशन, तथा विपत्र कोड सं0–22–2235602000003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. आवंटित राशि में से केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानी पेंशनधारियों/आश्रिता पेंशनधारियों का ही उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति विशेष भत्ता प्रति माह भुगतान किया जायेगा।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला नजारत उप समाहर्त्ता, सिवान होंगे तथा इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

6. जिला नजारत उप समाहर्त्ता, सिवान का यह दायित्व होगा की भुगतान की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को यथाशीघ्र निश्चित रुप से उपलब्ध करावें।

7. केन्द्रीय राजस्व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानी पेंशनधारियों/आश्रिता पेंशनधारियों का गत वर्षो का विशेष भत्ता/पेंशन की राशि भुगतान हेतु यदि बकाया हो तो अविलम्ब विस्तृत अधियाचना भेजी जाये।

8. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान किसी कारण वर्ष नहीं हो पाने की स्थिति में जिला नजारत उप समाहर्त्ता, सिवान द्वारा उस राशि का प्रत्यापर्ण वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के पूर्व विभाग को निश्चित रुप से कर दिया जायेगा।

9. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का आवंटन CFMS प्रणाली के माध्यम की जायेगी।

जिला पदाधिकारी,
सिवान

ज्ञापांक–*XLI-04/2016*......754 / सा0शा0, सिवान,दिनांक........3.6.2020।

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–उप निदेशक (प्र0) प्रभारी स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, बिहार, पटना को उनके सं0–एन / गृ0वि0आ0–02–01 / 2020 89 / पटना, दिनांक 24.04.2020 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नजारत उप समाहर्ता, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– *NIC* को सूचनार्थ एवं जिला की *Website* पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

3/6/2020

जिला पदाधिकारी,
सिवान